समाचार-प्रकाशनार्थ:-

मा0 मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान के संवाद को देखा व सुना

रतलाम 28 अगस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा बालाघाट से अपरान्ह 1ः00 बजे से किये गये संवाद व उद्बोधन के सीधे प्रसारण को जनप्रतिनिधिए अधिकारीए कर्मचारी व हितग्राहियों ने विधायक सभाग्रह में एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना।

विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधामंत्री आवास योजना के तहत नगर के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही रतलाम शहर को झोपड़ी मुक्त बनाया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज 7 हितग्राहियों के खाते में द्वितीय किश्त की 1.1 लाख की राशि व 49 हितग्राहियों के खाते में तृतीय किश्त की 50.50 हजार की राशि डाली गई है जिससे वे अपने मकान का कार्य पूर्ण करें व अपना व परिवार का उत्थान कर सकें।

मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 अगस्त शनिवार को अपरान्ह 1ः00 बजे लाभार्थियों से किये जाने वाले संवाद के सीधे प्रसारण को देखने व सुनने हेतु विधायक सभाग्रह में नगर निगम द्वारा एलईडी वॉल स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी जहां अधिकारीए कर्मचारी तथा हितग्राहियों सोश्यल डिस्टेंसिग व मास्क के साथ बैठाया गया।

आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगमए रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तमए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदारए विकास मरकामए ब्रजेश कुशवाहए पूर्व महापौर परिषद सदस्य श्री भगतसिंह भदौरियाए श्री मंगल लोढ़ाए श्रीमती मनीषा शर्माए पूर्व पार्षद श्री प्रहलाद पटेल के अलावा सर्वश्री जयवंत कोठारीए मनोज शर्माए मयूर पुरोहितए निलेश गांधीए राकेश मीणाए मनोज शर्माए राकेश परमारए वैभवए नन्दकिशोर पवांरए विवेक शर्माए प्रभुलाल मेघवालए प्रकाश बंशीवालए ए निगम प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हितग्राही उपस्थित थे।

मा0 मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान आज करेंगे पीएम स्वनिधी के हितग्राहियों से संवाद
विधायक सभाग्रह में दोपहर 1 बजे होगा सीधा प्रसारण

रतलाम 27 अगस्त। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के हितग्राहियों से किये जाने वाले संवाद व उद्बोधन का सीधा प्रसारण 29 अगस्त रविवार को दोपहर 1 बजे से बरबड़ स्थित विधायक सभाग्रह में एलईडी वॉल स्क्रीन के माध्यम से किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि माननीय श्री शिवराजसिंह जी चौहान प्रधानमंत्री स्वनिधाी योजना के हितग्राहियों से किये जाने वाले संवाद व उद्बोधन का सीधा प्रसारण विधायक सभाग्रह में आज 29 अगस्त रविवार को दोपहर 1 बजे किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधिए नागरिक व हितग्राही उपस्थित रहेंगे।

नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के हितग्राहियों से अपील की जाती है कि विधायक सभाग्रह में किये जाने वाले सीधे प्रसारण में मास्क लगाकर व शारीरिक दूरी बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा किये जाने वाले संवाद को देखे व सुने।

कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने सफाई कर्मचारियों की मांगो के संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों से की चर्चा

रतलाम 27 अगस्त। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की 22ए 6 व 9 सुत्रीय मांगो के संबंध में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए निगम अधिकारी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों से चर्चा की।

कलेक्टर व निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगो के संबंध में पृथक-पृथक पत्र प्रस्तुत कर 22ए 6 व सुत्रीय मांगो के संबंध में विस्तृत चर्चा यूनियन के पदाधिकारियों से कर विधि सम्मत परीक्षण कर एक माह में प्रतिवेदन देने व आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

चर्चा के दौरान उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के. जायसवालए मोहम्मद हनीफ शेखए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्राए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए उपयंत्री श्री मनीष तिवारीए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए सहायक वर्ग-3 श्री राजेन्द्रसिंह गेहलोतए नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी सर्वश्री कमल भाटीए रामकल्याणेए कमल शिन्देए संजय पैमालए विजय खरे आदि उपस्थित थे।

पोलोग्राउण्ड के पीछे पुराने फुरट मार्केट क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण

रतलाम 27 अगस्त। पोलोग्राउण्ड के पीछे पुराने फुरट मार्केट क्षेत्र में मूर्तिकारो आदि के द्वारा किये गये अतिक्रमण को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 15 से अधिक पक्के अतिक्रमण व 33 दुकानों के आगे से अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि पोलोग्राउण्ड के पीछे पुराने फुरुट मार्केट क्षेत्र में इंदौर की 56 दुकानों की तर्ज पर फुड पार्क का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्केट 30 वर्ष पूर्व नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित किया गया था किन्तु यहां पर मूल व्यापारियों के स्थान पर कब्जे धारियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था जिसे हटाया गया है।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान सीएसपी श्री हेमन्त चौहानए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन व पुलिस बल उपस्थित था।

भैंसो के तबेलो को तोड़ा जायेगा

रतलाम 28 अगस्त । रतलाम शहर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में भैंसो के तबेलो का सर्वे पूर्ण किया जाकर तबेले संचालकों को तबेले हटाने हेतु चेतावनी दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंस की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचालित सभी तबेलो का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसो का पालन करना निगम एक्ट के विपरित हैए ऐसे भैंस पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले का निर्माण कर भैंसो का पालन कर रहे है वे स्वंय अपने तबेलो को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पशु वध करनाए मटन विक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 28 अगस्त । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करनाए मटनए गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
28 अगस्त को 78 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा
रतलाम 28 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 28 अगस्त शनिवार को 78 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
28 अगस्त शनिवार को डम्पर व टेª क्टर ट्रॉली से 32675ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 22440ए काम्पेक्टर गीला 118590ए मैजिक 2025 किलो इस तरह कुल 78730 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें
रतलाम 28 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 28 अगस्त को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी व झोन प्रभारी द्वारा खुले में गंदगी करने पर राधाबाई-महेन्द्रसिंह कसारी दरवाजा पर 3000ए सत्यम चाट सेन्टरए गणेशए महाकाल पावभाजी व रतलाम बालाजी चाईनिज दो बत्ती चौपाटी पर 500.500 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए किरण चौहानए विनय चौहान व विराट मेहरा द्वारा की गई।

12496 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा
स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
रतलाम 28 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 28 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1296 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 28 अगस्त को मुखर्जी नगर क्षेत्र से 1 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

नगर निगम द्वारा अब तक 7352 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 28 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत श्निरामयम' ' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं। 28 अगस्त शनिवार को श्री माँ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार अमृत सागर कालोनीए जूनियर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार आनन्द कालोनीए मरियम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोडए अलकापुरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार स्नेह नगर 80 फीट रोडए प्रतीक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शहर सरायए बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शहर सरायए गीता महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मेहताजी का वास व डिम्पल महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार नयागांव में 36 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7316 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

964 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 28 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2364 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 905 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 59 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 41 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 12 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

निगम से संबंधित करो की बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 28 अगस्त । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गिरावटए सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000द्ध ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000द्ध ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000द्ध ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000द्ध ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000द्ध ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000द्ध ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000द्ध ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000द्ध ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000द्ध ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000द्ध ;बीस हजार) से 50ए000द्ध ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000द्ध ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 28 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 28 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 28 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/28ण्08ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.